उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

संख्या- 1/2016/बी-4-857/दस-2016-6/1965

लखनऊ: दिनॉक: 28 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों एंवं अग्रिमों (स्वायत्तशासी निकायों को जल सम्पूर्ति योजना के लिए ऋण को छोडकर) पर वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए ब्याज की अप्तिम रूप से प्रभावी दरें (प्रतिशत प्रतिवर्ष) निम्नलिखित होगीं-

क्रमॉक	ऋण की किस्म	ऋण की अवधि	वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तावित ब्याज दर दर	वित्तीय वर्ष 2009-10 लिए प्रस्तावित ब्याज दर	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रस्तावित ब्याज दर	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित ब्याज दर	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित ब्याजदर	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तावित ब्याज दर	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित ब्याज दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	यू.पी.एफ;सी., पिकप, यू.पी.एस.आई.डी.सी., यू.पी.एस.आई.सी. आदि जैसी संस्थाए जो औदयोगिकीकरण को बढावा देने का कार्य करती हैं, को ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
2	क– सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में मध्यम एवं बृहत स्तरीय औदयोगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी एवं अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिए ऋण	3 से 5 वर्ष की अवधि तक	14.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50
	ख–'क' में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी एवं अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
3	(क) सार्वजलनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में लधु स्तरीय औदयोगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिए ऋण	3 से 5 वर्ष की अवधि तक	14.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	ख–'क' में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
4	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0 प्र0 राज्य विदयुत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश जल विदयुत उत्पादन निगम तथा यू0पी0 एस0आर0टी0सी0 को ऋण	10 वर्ष की अविध तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
5	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0 प्र0 राज्य विदयुत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश जल विदयुत उत्पादन निगम तथा यू0पी0 एस0आर0टी0सी0 को ऋण	अर्थोपाय ऋण 3 वर्ष तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
6	अन्य ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50

2- स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-225 में दिये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

3- ब्याज की उक्त दरे प्रभावी (इफेक्टिव) दरें हैं। स्वीकृत आदेशों में ब्याज की दरे उपरोक्त प्रभावी दरों से 2;5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) अधिक निर्धारित की जायेगी और उनमें इस आशय की शर्त रहेगी कि नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में 2;5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) की छूट दी जायेगी अर्थात प्रभावी दर (इफेक्टिव रेट) पर ही ब्याज लिया जायेगा। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई किश्त कालातीत होने पर ऋण की स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ (डिफाल्ट) होने पर स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। ब्याज की दण्डात्मक दर मूल राशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि से टीक पूर्व की तिथि तक लागू रहेगी।

4- तकाबी नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों के आदेश पृथक से राजस्व व कृषि विभाग द्वारा निर्गत किये जाते हैं। राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऋणो और अग्रिमों पर ब्याज की दरें अलग से निर्धारित की जाती हैं।

5- साधारणतया किसी भी ऋण की प्रतिदान अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, किन्तु ऐसे मामलों, जिनमें प्रतिदान की अवधि बढाया जाना आवश्यक हो, शासन को संदर्भित किये जायॅ। ऋण की प्रतिदान अवधि ऋण के उददेश्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जायॅ और इसे कम से कम अवधि के लिए ही सीमित रखा जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किश्त को पूरी तरह से मूल राशि के लिए ही समझा जायेगा वशर्ते उसके साथ अदयतन तिथि तक किश्त की वास्तविक अदायगी के लिए देय ब्याज भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो किश्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिए देय ब्याज के साथ समायोजित की जायेगी अगर कोई राशि शेष

हो तो उसे मूल राशि के साथ प्रयुक्त किया जायेगा। जहॉ किश्त अदायगी निश्चित तिथि से 14 अथवा उसके कम दिन पहले की गई हो तो ब्याज पूरी अवधि (आधा तथा पूरा वर्ष, जैसा भी मामला हो) के लिए देय होगा।

7- यदि किसी योजना पर ब्याज की दर, जो अन्तिम नहीं है, अनुच्छेद-1 व 4 में दी गई ब्याज की दरो से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अधिक ब्याज की दर लागू रहेगी।

8- यदि ऋण की अवधि में संशोधन करके अवधि बढाई जाती है तो ब्याज की दर लम्बी अवधि से समतुल्य होगी मानों ऋण बढी हुई अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। ऐसे मामलों में यदि ऋण की वापसी-अदायगी शुरू हो चुकी है तो ऋण की अवधि में विस्तार किये जाने की तारीख तक ऋण के बचे भाग पर ब्याज की संशोधित दर लागू होगीं।

9- उन मामलों में जहॉ ऋण को रियतायती दर पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है, वापसी- अदायगी में कोई चूक होने पर अथवा ऋण का उपयोग होने भिन्न प्रयोजन के लिए किये जाने की स्थिति में ऋणों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य दरों से 1/4 प्रतिशत अधिक दण्डात्मक ब्याज प्रभावी होगा।

10- यदि किसी मामले मे इस कारण ब्याज रियायती दर पर लिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले साधारण ब्याज की दर के अन्तर के बराबर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ऐसे समस्त मामले तुरन्त वित्त विभाग को ब्याज दर निर्धारित करने के लिए भेज दिये जाने चाहिये तथा साथ में भारत सरकार के नवीनतम लिखित आदेश की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें ब्याज की दर को सहायतित करने की सहमति प्रदान की गई हो।

11- जिन मामलों में राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का ऋण उनके एजेण्ट के रूप में स्वीकृत करती है और उसमे भारत सरकार की यह शर्त होती है कि अन्तिम ऋण गृहीता को एक निर्धारित ब्याज की दर पर ही ऋण दिया जायेगा तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ही लागू रहेगी। इसी प्रकार जहॉ राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे राष्टीय सहकारी विकास निगम तथा खादी ग्रामोदयोग आदि) से प्राप्त धनराशि से ऋण दिया गया हो तो ब्याज की दर वही होगी जो उस संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से 2014-15 के लिए निर्धारित की गई है, यदि यह शर्त राज्य सरकार ने मान ली हो ।

12- राजकीय उपक्रम/निगम तथा अन्य राजकीय स्वायत्तशासी संस्थाए, कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने सम्पत्ति (जैसी सामग्री, भण्डार, कच्चा माल, तैयार माल, प्रगति पर चल रहे कार्यो आदि) को बन्धक रखकर भारतीय स्टेट बैंक/राष्टीयकृत बैकों से प्राप्त कर सकते हैं। अत: सहकारी उपक्रमों आदि को सामान्यत: कार्यशील पूंजी के लिए ऋण स्वीकृत करने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा लेकिन, यदि विशेष परिस्थितियों में कार्यशील पूंजी हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है तो इस ऋण की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली एक वर्ष के अन्दर की जायेगी।

मुकेश मित्तल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

संख्या-1/2016/बी-4-85 (1)/दस-2016-6/1965 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद !

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।